सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(57)पराविं/आरआरडीएस–12/ प्रशा–1/संस्था/2015/1245 जयपुर,दिनांक 3/07/2019

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2433 दिनांक 18.11.15 (क्रम संख्या 57) द्वारा श्रीमती मृदुला शेखावत को राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा मे परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप मे दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्ति प्रदान करने पर श्रीमती शेखावत द्वारा दिनांक 26.11.17 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई।

श्रीमती शेखावत ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्मिक (क–4) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 1(3)कार्मिक/क–4/2019 दिनांक 30.6.19 की क्रम संख्या 88 पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर प्रशिक्षण के लिये उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः श्रीमती मृदुला शेखावत, हाल विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बिलाडा जिला जोधपुर को कार्मिक (क–4) विभाग को उनकी आज्ञा क्रमांक प.1(3)कार्मिक/क–4/2019 दिनांक 30.6.19 के क्रम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर कार्मिक विभाग में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग को उनकी आज्ञा क्रमांक प. 1(3)कार्मिक/क–4/2019 दिनांक 30.6.19 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
9. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
10. जिला कलेक्टर जोधपुर।
11. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बिलाडा जिला जोधपुर।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
15. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)